

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbehat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/
प्रति,

7535

बालाघाट दिनांक 23 / 12 / 2024

मेसर्स अर्पण फेरो एलायस
गोदिया रोड़, कोसमी,
बालाघाट- 481001 (म.प्र.)

विषय:- वनमंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ.- 807 एवं पी.एफ.- 809
कें रकबा 28.02 हे० वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मेंगनीज ओर खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पण
फेरो एलायस, बालाघाट का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक
6-MPR04/2022-BHO/ दिनांक 03.11.2022
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) का पत्र
क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5783, 5784 दिनांक 27.11.2024 जो आपको भी
संबोधित प्रेषित है।

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों जो आपको भी संबोधित प्रेषित है, की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु संलग्न भेजी जाती है। विषयांतर्गत संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भोपाल के पत्र क्रमांक 6-MPR04/2022-BHO/ दिनांक 03.11.2022 से प्रकरण में 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः तत्संबंध में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भांकित पत्र द्वारा चाही गई वांछित उल्लेखित 12 बिन्दुओं
पर बिन्दुवार जानकारी मय वांछित अभिलेखों सहित 03 प्रतियों में इस वनमंडल कार्यालय को शीघ्र 07 दिवस के पूर्व
उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि आपसे वांछित बिन्दुवार जानकारी प्राप्ति उपरांत उसे वरिष्ठ कार्यालय की ओर शीघ्र
प्रेषित की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अधर गुप्ता)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
वनमंडल, बालाघाट

पृष्ठा. क्रमांक/तकनीकी/
प्रतिलिपि :-

7536

बालाघाट, दिनांक 23 / 12 / 2024

- (1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आपके पत्र
क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5783, 5784 दिनांक 27.11.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर
सम्प्रेषित।
- (2) वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5783, 5784 दिनांक 27.11.2024 के
तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (3) उपवनमंडलाधिकारी, कटंगी (सा.) उपवनमंडल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर
उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अधर गुप्ता)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
वनमंडल, बालाघाट

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5783

भोपाल, दिनांक 27.11.24

प्रति,

- ✓ 1. वन मंडल अधिकारी,
सामान्य वन मंडल, दक्षिण बालाघाट,
मध्य प्रदेश।
2. मेसर्स अर्पण फेरा एलायस, जनरल मैनेजर,
कोसमी, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

विषय:- वन मंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक PF- 807 & PF- 809 के रकबा 28.02 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज और खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पणा फेरो एलायस, बालाघाट का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ:-1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 04/2022-BHO/ दिनांक 03/11/2022

2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/3752 दिनांक 07.11.2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 6- MPR 04/2022-BHO/ दिनांक 03/11/2022 से प्रकरण में 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र से आपको लेख किया गया है।

अतः आपसे संबंधित शेष बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड करे।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

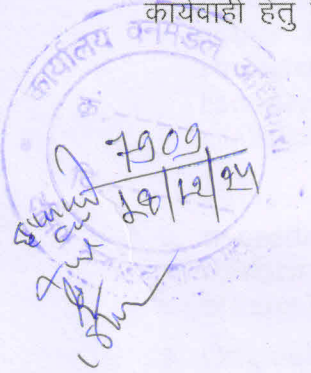
पृ. क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5784

भोपाल, दिनांक 27.11.24

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल





सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 04/2022-बीएचओ/

दिनांक : 03-11-2022

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश)।

विषय: बालाघाट जिले के परिक्षेत्र खैरलांजी के वनकक्षा क्रमांक पीएफ-807 एवं पीएफ-809 के रकबा 28.02 हेक्टर संरक्षित वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज और खनिज उत्खनन हेतु मेसर्स अर्पण फेरो एलाएस, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-1/831/2021/10-11/2211 दिनांक 22/6/22.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्रमांक 6-REC 10/2014-BHO/Part-III/141 दिनांक 04/05/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 29/04/2022 एवं कार्यवृत्त दिनांक 04/05/2022(संदर्भित पत्र-3) उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु मंत्रालय, नई दिल्ली प्रेषित किया गया था। मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण चाही गयी है। अतः निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

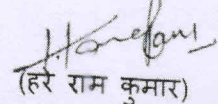
1. Mining plan was approved in 1994. Fresh LoI was issued in 2015 for 20 years. Sanctity of the Mining Plan in light of revised LoI, change in the technological interventions, guidelines issued by the DGMS and IBM, etc. needs to be ascertained. It is also to mention that there has been a substantial change in the population of tiger and other wildlife population. Management strategies in terms of core and buffer areas, corridors and satellite population etc have been given prime focus. In case these issues cannot be addressed by the mining plan prepared 28 years back, a new one may be required.
2. It needs to be clarified if the land use proposed in the proposal is in conformity with the land use given in approved Mining Plan/proposed Mining Plan.
3. Original lease was proposed to be granted in the year 1994. No chronological background details could be traced in the proposal viz. whether mining lease was executed and mining operations undertaken, in

case no execution of lease or minng operations undertaken, reason therefore, etc. needs to intimated.

4. Proposal also needs to be examined in light of provisions of section 10 A 2 (c) of the MMDR Amendment Act, 2015
5. Safety zone demarcation is not given, the same should be maintained in a strip of 7.5 meter wide along the inner boundary of mining lease and details of area involved therein may be indicated and submitted.
6. Staff quarter which are non-site specific activities are proposed in the proposal for which UA has given undertaking that same will not be built.
7. As per SIR of DFO, there is presence of occasional movement of Tiger, Leopard, Jackal, Blue Bull, Cheetal, Python and Langoor etc. Thus, mitigation plan shall be submitted.
8. A stretch of 60 meter approach road (comp no 809) is not included in the proposal. Clarification/ rectification is required to be submitted.
9. From DSS analysis it is evident that this area is a comparatively bigger patch of forest situated at 23.49 km from Pench Tiger Reserve with smaller green patches in between shall be clarified.
10. Component like staff quarters which seems to be not site-specific, has also been proposed for diversion and is not permissible as per the relevant guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980. The same needs to be re-visited
11. CA scheme for 10.00 ha DFL does not include maintenance for 10 years. It shall be rectified and resubmitted.
12. An area of 1.0 ha has been proposed for siding which needs elaboration to comprehend the nature of siding proposed in the proposal

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय


(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।